प्रपत्र—VI

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू—अर्जन निदेशालय)
समाहर्त्ता—सह—समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम—30/2013 की धारा—11 (1) के अधीन)

चूँकि बिहार सरकार/समाहर्त्ता, मधुबनी को यह प्रतीत होता है कि सरकारी परियोजनार्थ यथा एस0एस0बी0 कैम्प, महथा, थाना सं0—141, रेवेन्यू थाना—खजौली, अंचल—लदनियाँ, जिला—मधुबनी में भूमि का एक टुकड़ा आपेक्षित है, जिसका कुल रकवा 1.00 ए0 (एक एकड) या 0.40 हेक्टेयर होता है, जिसका विवरण निम्नवत हैं।

जिला	अंचल	मौजा	थाना नं0	रेवेन्यू थाना
मधुबनी	लदनियाँ	महथा	141	खजौली

क्रम संख्या	खाता संख्या	सर्वे भू—खण्ड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के जमीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भू—खण्ड संख्या) उ0	द0	पू0	प0
1	882	230	रैयती	कृषि	0.70	श्री राज कुमार यादव वो कमल नारायण यादव पे0 राज लाल यादव सा0 देहे	भारत नेपाल सीमा	खेसरा सं0—236 अंश	खेसरा सं0—231	खेसरा सं0—229
2	1166	236	रैयती	कृषि	0.30	श्री रामअवतार यादव वगै0 पे0 सोने लाल यादव सा0 देहे	खेसरा सं0—230	खेसरा सं0—236 अंश	खेसरा सं0—235	खेसरा सं0—229
			कुल		1.00					

कुल एक मौजा में अर्जित कुल रकवा का योग—**1.00** एकड़ यानि **0.40** हेक्टेयर भूमि

भूमि अर्जन के कारण पूनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या शून्य है।

यह अधिसूचना भू—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा—11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू अर्जन पदाधिकारी मधुबनी के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। समाहर्त्ता—सह—समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू—वेधन—छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का काई अंतरण यथा क्रय/ विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा।

चूँकि उक्त भूमि परियोजना हेतु तुरन्त आपेक्षीत है, अतएव राज्य सरकार ने समाजिक प्रभाव मूल्यांकन अधययन कार्यान्वित नहीं करने का विनिश्चत किया है। भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा–40 की उपधारा 4 में वर्णित अध्याय–ii के तहत् सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) तथा अध्याय 4 की धारा 15 के तहत् आपत्तियों की सुनवाई (Hearing of objections) से संबंधित उपबंध इस भू–अर्जन की कार्रवाई में प्रभावी नहीं है। चूँकि यह परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा 40 (5) का परन्तुक प्रभावी होगा।

ह0/-
समाहर्त्ता,
मधुबनी।

ज्ञापांकः–1725/जिला भू–अर्जन, मधुबनी, दिनांक– 11 वीं अगस्त, 2017 ई0

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, बिहार, पटना को प्रारुप की 2 प्रतियाँ एवं सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्रों में, सामान्य अंको में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशित कर एवं प्रकाशित संस्करण की दो–दो प्रति जिला भू–अर्जन कार्यालय, मधुबनी को उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपिः– प्रभारी उप–समाहर्त्ता, जिला गजट शाखा, समाहरणालय, मधुबनी को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित गजट की अतिरिक्त 2 प्रति में इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अवर निबंधक, जयनगर/मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जयनगर सह अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी एवं अंचल अधिकारी, लदनियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा में प्रकाशन कराया जाय। कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

प्रतिलिपिः– सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिला समाहर्त्ता, मधुबनी के बेबसाईट पर अपलोड कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जनसंपर्क, पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, भू–अर्जन, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता,
मधुबनी।